राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

अपील संख्या – 03/2022

अपीलांट **बनाम** **उतरदाता**

1. जमना पुत्री खेतीदास पत्नी मानमल के वारिस
   1/1 देवकिशन पुत्र जमना पत्नी मानमल जाति महाजन (माहेश्वरी) निवासी बांड तहसिल गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

1. ग्राम पंचायत रतेऊ/ मदो की ढाणी द्वारा सरपंच तहसिल गिड़ा
2. स्वर्गीय ताराचंद पुत्र नथमल के वारिसन
   2/1 रामेश्वर पुत्र ताराचंद
   2/2 नरसिंगा राठी पुत्र ताराचंद
   2/3 नंदकिशोर पुत्र ताराचंद
   2/4 राजेंद्र पुत्र ताराचंद
3. तिलोक चंद पुत्र नथमल
4. धनराज पुत्र नथमल
5. ओंकार लाल पुत्र नथमल

जाति माहेश्वरी निवासी रतेऊ तहसिल गिड़ा जिला बाड़मेर

दिनांक :– 17/10/2022

उपस्थित :–

1. श्री रतनाराम जाखड़ एडवोकेट अपीलांट

:–निर्णयः–

1. अपीलांट की ओर से अपील धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत संरपच ग्राम पंचायत रतेऊ/ मदो की ढाणी द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक शुन्य के विरूद्ध पेश की गयी।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट उत्तरदाता संख्या 2 से 5 मूतवफी रतनीदास के वसंज है जिनकी सामिलाती खातेदारी भुमी खसरा नम्बर 777, 776 रकबा क्रमशः 208.16, 0.05 बीघा संयुक्त रकबा 208 बीघा 01 विस्वा मूल गांव रतेऊ तहसिल गिड़ा जिला बाड़मेर में आई हुई है। जो अपीलांट के नाना खेतीदास की फौतगी पर भरे गये नामांतकरण संख्या 41 दिनांक शुन्य में अपीलाट की माता जमना जो खेतीदास एकमात्र जायज विधिक वारीशान अपीलांट की माता जमना थी का न भर कर उत्तरदाता संख्या 2 के पिता ताराचंद पुत्र नथमल को दतक पुत्र बताते हुए भरा गया। जबकि ताराचंद जो खेतीदास के द्वारा

सहायक कलक्टर (SDO), बायतु जिला – बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.21 17:35:05 IST
Reason: SelfAttested

कभी दतक या गोद नहीं लिया गया था खेतीदास की एकमात्र जायंदा विधिक वारीशान अपीलांट की माता जमना के जीवित होते हुए ताराचंद दतक पुत्र खेतीदास के नाम से नामांतकरण उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा पारित किया गया जिससे क्षुब्द होकर अपीलांट द्वारा अपील पेश की गयी।

3. अपीलान्ट की अपील म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेटंगण को जरिये रजिर्स्टड नोटिस तलब किया गया। तामिल हेतु अपीलांट अधिवक्ता अखबार छाया करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार कर उत्तरदातागण के समन अखबार छाया कर तलब किया गया। बावजूद तामिल रेस्पोडेटंगण अनुपस्थित जिनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपील अन्दर म्याद पेश है क्योंकि पूर्व में अपीलान्ट को आलोच्य नामांतकरण संख्या 41 दिनांक शुन्य की जानकारी नहीं हो सकी क्योंकि अपीलान्ट अर्सा एक माह पूर्व अपनी माता स्व. जमना का खातेदारी रेकड़ की जानकारी लेने व अपनी माता की फौतगी पर अपने पक्ष में नामांतकरण भरवाने हलका पटवारी से संपर्क किया तब अपीलान्ट को आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 41 की जानकारी हुई और उनकी प्रमाणित प्रतियां दिनांक 25.03.2022 को प्राप्त की तब सर्वप्रथम अपीलान्ट को गलत तरीके से उसके हिस्से की भूमि बाबत पारित नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक शुन्य की जानकारी हुई और जानकारी से नियत समयावधि में उक्त अपील श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है। लेकिन सदभाविक रूप से हुऐ विलम्ब को माफ किया जाए।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालाय श्री ग्राम पंचायत रतेऊ द्वारा नांमान्तरकरण संख्या 41 दिनांक शुन्य पारित करने में वाकयाती व कानूनी भारी भूल की है जो आदेश काबिल निरस्त करने के है तथा अपीलाधिन आराजी में " खेतीदास पुत्र रतनीदास" की फौतगी के बाद भरे गये नामान्तरकरण संख्या 41 में ताराचंद दतक पुत्र खेतीदास को विधिक वारीशान मानते हुए नामान्तरकरण भरा गया है जबकि अपीलाट की माता जमना जो खेतीदास एकमात्र जायंदा विधिक वारीशान थी का न भर कर उत्तरदाता संख्या 2 के पिता ताराचंद पुत्र नथमल को दतक पुत्र बताते हुए भरा गया। जबकि ताराचंद जो खेतीदास के द्वारा कभी दतक या गोद नहीं लिया गया था खेतीदास की एकमात्र जायंदा विधिक वारीशान अपीलांट की माता जमना थी लेकिन हल्का पटवारी ने " खेतीदास" के फौत होने बाद भरे गये फोतगी नामान्तरकरण में अपीलान्ट को नुकसाान पहुंचाने के आशय से बिना किसी सक्षम दस्तावेज के ताराचंद जो खेतीदास के सगे भाई नथमल का पुत्र था को गोद–दतक पुत्र मानते हुए नामान्तरकरण पारित किया गया है। तथा नामान्तरकरण पारित करते समय उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा खातेदारान की वास्तविक कब्जा काश्त की कोई जांच नहीं की गई और ना ही कोई वास्तविक कब्जा बाबत् कोई टिप्पणी का इन्द्राज नामान्तरकरण की पुश्त पर इन्द्राज किया गया। नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व कोई पत्रावली कायम नहीं की गई व ना ही अपीलान्टगण को किसी प्रकार की सूचना दी गई ना ही खेतीदास के विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.21 17:35:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

वारीशान के बारे में उचित जांच की गई, इस प्रकार बिना पत्रावली कायम किए, बिना अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिये, उत्तरदाता संख्या 2 के पूर्वज ताराचंद के नाम से भर कर स्वीकृत कर दिया है। नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक शुन्य शुरू से ही अवैध, शुन्य, प्राकृतिक एवं विधिक सिद्धान्तों के प्रतिकुल और क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण निरस्त कर अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में पुनः नामान्तरण भरने का आदेश फरमावें।

हमने अपीलांट वकील की बहस सुनी व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि इस अपील में अपीलांट के नैसर्गिक न्याय व सारवान अधिकारों का सारगर्भित तथ्य समाहित है, यदि उक्त अपील को म्याद के बिन्दु पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो अपीलांट के नैसर्गिक न्याय व सारवान अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्येनजर रखते हुए अपीलांट की अपील अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधिन नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक शुन्य को खारिज किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को प्रतिप्रेषित कर, मौजा फतूम्बीया नाडी पटवार हल्का रतेऊ तहसील गिड़ा में खेत खसरा नं. 776, 777 रकबा क्रमशः 0.0405, 33.7993 हेक्टेयर की भूमि में अपीलान्ट के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गिड़ा उक्त आदेश के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला- बाड़मेर

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

निर्णय आज दिनांक 17/10/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला- बाड़मेर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2022.12.21 17:35:15 IST
Reason: SelfAttested